मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल, फोन : 0755–2543175
E-mail: mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in - Website : www.mpwaqfboard.org

क्र. ITCELL/Misc/Circular/2021 / 3198 भोपाल दिनांक 19-07-21

परिपत्र

कोरोना वायरस से बचने के लिये ऐहतियाती क़दम उठाये जाने हेतु

म. प्र. वक्फ बोर्ड की समस्त मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों एवं स्कूलों आदि को बोर्ड के एडवाईज़री जारी

दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ ही हमारा भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में है। फिलहाल यह वायरस एक वबा की शकल में पूरी दुनिया में लोगों के लिये खतरनाक बन चुका हैं। ऐसे समय में बीमारी के खतरों से बचने के लिये मध्यप्रदेश शासन, गृह विभग, मंत्रालय, द्वारा एफ 35–09/2020/दो/सी.–2, भोपाल दिनांक 14 जुलाई, 20201 जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 4500 मस्जिदें, 5500 कब्रस्तान, 3500 दरगाहें–मज़ारात 580 ईदगाहें, 350 कर्बला एवं 300 मदरसा–स्कूल आदि पंजीकृत हैं।

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए शासन के उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुऐ मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड अपने अधिनस्थ समस्त वक्फ मुतवल्लियों/प्रबंध समितियों एवं जिला वक्फ कमेटियों को निम्न आवश्यक निर्देश जारी करता है :–

1. शासन द्वारा उक्त वायरस की रोक थाम के लिये समय समय पर जारी एडवाईज़री का सख़्ती से पालन करें।
2. मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, स्कूलों आदि को खुसूसी तौर पर साफ सुथरा रखें।
3. उक्त जगहों पर आवश्यक दवाईयों का छिड़काओ करावें।
4. मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, स्कूलों आदि के ज़िम्मेदार हज़रात इस वायरस के नुकसानात से संबंधितों को बाख़बर करावें।
5. नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ऑदि का शिकार कोई साहब आए तो इंतेज़ामिया उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टरों के पास ले जावें। बीमार लोगों की मज़हब व मिल्लत का फर्क़ किये बिना मदद करना सुनिश्चित करें।
6. अपने हाथों को साबुन/सेनेटाईज़र से धोवें साथ ही इबाबतगाहों में साबुन/सेनेटाईज़र आदि का बेहतर इंतेज़ाम रखें।
7. वक़्फ से जुड़े सभी लोग कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिये इहतियाती क़दम उठायें।
8. कोरोना वायरस के फैलने से बचाव के लिये राज्य शासन द्वारा जो भी निर्देश जारी हों उसका कड़ाई से पालन करें।
9. शासन के आदेशानुसार नमाज़ घर पर ही पढ़ें। भीड़ एकटठा न करें।
10. बक़रईद के त्योहार में कुरबानी के जानवरों के अनुपयोग चीज़ें नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों एवं डस्टबिन आदि में ही डालें। इस शुभ अवसर पर सफाई का विशेष ख़्याल रखें।

मान. प्रशासक महोदय द्वारा अनुमोदित।

19/7/21
(शेख हसरूद्दीन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

क्र. ITCELL/Misc/Circular/2021 /   भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़र्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त ज़िला/तहसील वक्फ कमेटी मध्यप्रदेश, को इस आश्य के साथ आदेशित किया जाता है कि अपने जिले के समस्त वक्फ प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों/मुतवल्लियों को उक्त सर्कुलर का पालन कराना सुनिश्चित करावें।
4 समस्त वक्फ प्रबंध कमेटी/मुतवल्ली, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सचिव, सोल ट्रस्टी शिया दाऊदी बोहरा समाज बद्री महल फोर्ट मुम्बई की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. आई.टी.सेल मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
म.प्र.

विषयः– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

संदर्भ– विभागीय परिपत्र कमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, दिनांक 15 जून, 2021, दिनांक 26 जून, 2021, 30 जून, 2021, 02 जुलाई, 2021 एवं 07 जुलाई, 2021

राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड–19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिकमित करते हुए नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे –

1. सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेगें।
2. स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं । तत्सम्बन्धी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यकम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे ।
3. सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा।
4. समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे । सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे । सिनेमा घर संचालक को कोविड–19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा ।
5. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगीं।
6. जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे ।
7. समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।

Scanned with CamScanner

8. समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें।
9. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा ।
10. अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
11. रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा ।
12. अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) व्यक्तियों, माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
13. पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ।
14. उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेंगें। उपरोक्त दिशा निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें ।

कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(डॉ राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि-

1 सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृह मंत्रीजी।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- कृपया अपने विभाग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
6. पुलिस महानिदेशक, म.प्र. ।
7. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
8. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

Scanned with CamScanner